चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक :– सम्बद्धता/245
दिनांक :– 29.5.2021

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध स्ववित्त पोशित संस्थान/महाविद्यालय,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

सन्दर्भः– शासन के पत्रांक: 1114/सत्तर–03–2021, दिनांक 20 मई, 2021 के सन्दर्भ में।

विशय:– कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों/कार्मिकों का वेतन भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उच्च शिक्षा अनुभाग–03 के आदेश संख्या–1109/सत्तर–03–2021 दिनांक 19 मई, 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में शिक्षकों/कार्मिकों को वेतन भुगतान समय से किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये है।

अतः उपरोक्त के आलोक में निर्देशित किया जाता है कि जिन निजी शैक्षिक संस्थानों/महाविद्यालयों द्वारा छात्रों से पूरा शुल्क लिया गया है, परन्तु अभी तक शिक्षकों व अन्य स्टाफ को पूर्ण वेतन का भुगतान नही किया गया है, वे संस्थान/महाविद्यालय प्राथमिकता के आधार पर तत्काल वेतन का भुगतान कराना सुनिश्चित करें।
संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय
28.05.2021
कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
02. सचिव कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
03. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
04. प्रभारी, वेबसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

d:Affly/CKL(534)

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध
संख्या– 1114/सत्तर–3–2021

प्रेषक,

अब्दुल समद
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1–निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2–कुलसचिव
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

3–समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ :दिनांक 20 मई, 2021

विषयः–कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों/कार्मिकों का वेतन भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के आदेश संख्या–1109/सत्तर–3–2021 दिनांक 19 मई, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में शिक्षकों/कार्मिकों को वेतन भुगतान समय से किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में आया है कि वर्तमान में प्रदेश स्थित कतिपय ऐसी निजी संस्थाएं जिनके द्वारा छात्रों से पूरा शुल्क लिया गया है, परन्तु उन संस्थाओं द्वारा शिक्षकों व अन्य स्टॉफ को वेतन का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि प्रदेश स्थित जिन निजी शैक्षिक संस्थाओ द्वारा छात्रों से पूरा शुल्क लिया गया है, परन्तु अभी तक शिक्षकों व अन्य स्टाफ को पूर्ण वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, प्राथमिकता के आधार पर तत्काल वेतन भुगतान कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

संख्या– (1)/सत्तर–3–2021, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2–कुलपति समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
3–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4–अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
5–गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।